पत्र संख्या : 7ब/3451 गैरयोजना–01/2015.....02

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव – सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, रॉंची ।

रॉंची, दिनांक 07-04-15

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 3451 – सचिवालय–आर्थिक सेवाएं, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–09–जल संसाधन विभाग मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट मुख्य शीर्ष 3451– **सचिवालय–आर्थिक सेवाएं,** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 3451– सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	090–सचिवालय	09–जल संसाधन विभाग	**550.900**

अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये पॉच करोड़ पचास लाख नब्बे हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट उपबंध रूपये 749.17 (दो करोड़ उनचास लाख सतरह हजार मात्र) के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमरी)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11. 2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

12. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order)** किया जाय।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2016** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev
7/4

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 02 रॉची, दिनांक :– 07-04-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev
7/4

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 02 रॉची, दिनांक :– 07-04-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी) सहा॰ अभि॰	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	Sukhdev 7/4 (सुखदेव सिंह) प्रधन सचिव

परिशिष्ट–I

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं

लघु शीर्ष–090–सचिवालय /उप शीर्ष–09–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 02 दिनांक 07-04-15 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2015–2016		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रूपये में)	
	कार्यालय का नाम		वेतन	संविदा भत्ता	एल0 टी0 सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड →	49N345100 090090101	49N345100 090090108	49N345100 090090112	49N345100 090090213	49N345100 090090315	49N345100 090090317	49N345100 090090323	49N345100 090090333	49N345100 090090334	49N345100 090090442	49N345100 090090760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अवर सचिव – सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉंची।	पूर्व का आवंटन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		अतिरिक्त आवंटन	531.000	2.400	1.000	4.000	4.000	0.500	1.500	1.500	0.000	3.500	1.500	550.900	
		कुल आवंटन	531.000	2.400	1.000	4.000	4.000	0.500	1.500	1.500	0.000	3.500	1.500	550.900	

अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये पाँच करोड़ पचास लाख नब्बे हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव